# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री रमेश पिता अमरा गुर्जर निवासी गांव सीमाल तहसील आमेट जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — प्रत्यर्थी

**किस्म मुकदमा** — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 58/2023**

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 18.09.2023**<br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक एफ.1( ) सू0अ0,05/2023/650 दिनांक 04.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत कार्यालय को दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त हुआ। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 की सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गयी उसका संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर तहसील कार्यालय, आमेट जिला राजसमन्द की होने से व बिन्दु संख्या 02 की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 526 — 528 दिनांक 11.07.2023 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द व सतर्कता अनुभाग कर्यालय हाजा को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को प्रति पृष्ठिाकिंत की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गयी। आवेदन में इप्सित बिन्दु संख्या 02 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा पत्रांक 1399 दिनांक 27.07.2023 से पृष्ठ संख्या 1 की सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर | |

न्यायालय जिला कलक्टर

राजसमन्द कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गयी, इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 04.08.2023 से सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) व 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्र की पालना में कोई शुल्क/राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नही करवायी गयी, जिसके अभाव में सूचना इस कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध है। एवं बिन्दु संख्या 1 की सूचना कार्यालय तहसीलदार आमेट द्वारा जरिये क्रमांक/आर.टी.आई/2023/261 दिनांक 12.09.2023 अनुसार बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को अन्दर मियाद दिनांक 24.07.2023 को उपलब्ध करवा दी गयी है।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना अपीलार्थी को अन्दर मियाद दिनांक 24.07.2023 को उपलब्ध करवा दी एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय को उपलब्ध करवा दी गयी। अतः बिन्दु संख्या 02 की सूचना के लिए अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार वांछित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे।

**पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।**

**लोक सूचना अपीलीय अधिकारी**
**(जिला कलक्टर) राजसमंद**